तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज मोहन सिंह बगै0 बनाम रामावतार बगै0 अपील सं0 94/2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
16.02.2021	बकुलाय उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। अपील अधिनस्थ न्यायालय के मु0नं0 35/2015 निर्णय दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/रेस्पो0 ने दिनांक 05.10.2016 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सिविल प्रकिया संहिता 1908 के तहत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.06.2017 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद की कार्यवाही स्थगित की है। आदेश 43 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908– आदेशो की अपील में अपील योग्य बिन्दुओ में धारा 10 जा0 दीवानी के अन्तर्गत आदेश को सम्मलित नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पर कार्यवाही स्थगित की गयी है, कोई अन्तिम निर्णय नहीं दिया गया है। इसलिए यह, अपील योग्य प्रतीत नहीं होती है। जिससे न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण अपील इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:18:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner